

# जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	बनाम नुसं 7/20 मु.सं.
--	-----------------------------

दिनांक 30-06-2021

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने जाहिर किया कि विभाजन स्कीम के अनुसार वाद को अंतिम रूप से डिकी करने में कोई आपत्ति नहीं है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत विभाजन स्कीम खातेदारों के हिस्सानुसार ही है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद डिकी किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
महवा (वेसा)